न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर कैम्प सागर (म.प्र.)

8 FEB 2013

प्रकरण क्रमांक— /निगरानी/2012—13 R-1332-II/13

आशाराम तनय भूपत लुहार निवासी ग्राम बड़ागांव खुर्द तहसील व जिला—टीकमगढ़ म.प्र. .....**निगराकार**

बनाम

1— लच्छी, काशीराम पुत्रगण भैयालाल लुहार

2— कमलेश, रामचरण पुत्रगण लच्छी लुहार,

3— बाबूलाल, लखनलाल, मुन्नालाल, द्वारका प्रसाद पुत्रगण मकुन्दी लुहार, 4— मुस. प्रेमबाई पत्नि मकुन्दी लुहार, समस्त निवासीयान ग्राम बड़ागांव खुर्द तहसील व जिला—टीकमगढ़ म.प्र. ......**प्रतिनिगराकारगण**

CANCELLED. CANCELLED.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिंता प्रतिकूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क्र. 104/निगरानी/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 28—01—2013 से परिवेदित होकर

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय सादर निम्न प्रकार है :—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ के प्र.क्र. 57/अ—27/2003—04 में पारित आदेश दिनांक 16—5—2006 में प्रतिनिगराकारगण के द्वारा ही बटवारे का आवेदन पत्र दिया गया था जिस अनुसार बटवारा स्वीकृत सभी पक्षों की उपस्थिति में एवं सहमति से किया गया। बटवारे में प्राप्त भूमि में निगराकार ने सुधार कर लिया तो प्रतिनिगराकारगणों की नियत में खोट आ जाने से उन्होंने म्याद बाहर अपील न्यायालय एस.डी.ओ. टीकमगढ़ के समक्ष की, जिसके प्र.क्र. 87/अपील/2006—07 आदेश दिनांक 21—6—2010 को धारा 5 म्याद अधिनियम का अंतरिम आदेश पारित नहीं करते हुये सीधे अंतिम आदेश कर दिया गया जिसकी निगरानी ए.डी.एम. न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष की गयी जिसमें भी इस तथ्य को छोड़ते हुये आदेश किया गया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत है:—

{1} यह कि तहसील न्यायालय के बटवारा प्रकरण में दिनांक 18—4—2006 को उभयपक्षों एवं सह—खातेदारों की सहमति लेख पर कोई गौर नहीं किया गया। सहमति अनुसार किये गये बटवारे के विरूद्ध नियमानुसार अपील सुनवाई योग्य नहीं होती है और न ही सहमति आदेश के विरूद्ध अपील ग्राह्य योग्य होती है। इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया और न्यायालय एस.डी.ओ. एवं ए.डी.एम. टीकमगढ़ के द्वारा मनमाना आदेश पारित किया गया है जो हस्तक्षेप योग्य होकर निरस्ती योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—1332—दो / 2013 जिला—टीकमगढ़

आशाराम विरूद्ध लच्छी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 104 / निगरानी / 2010—11 में पारित आदेश दिनांक 28—01—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04—11—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	